कार्यालय अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0,
नियंत्रक प्राधिकारी, प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण पुलिस मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ

संख्या:डीजी-15-पी.एस.ए.(प्रशिक्षण)2025 दिनांक-नवम्बर , 2025

विषयः निजी सुरक्षा गार्डो और पर्यवेक्षकों के प्रशिक्षण के लिये निजी सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान को मान्यता के लिये दिशा-निर्देश/(SOP)

आदेश

उत्तर प्रदेश प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण नियमावली 2023 के नियम 8(1), 8(2) एवं भारत सरकार द्वारा निर्गत मानक संचालन प्रकिया (एस0ओ0पी0) दिनांक:02-05-2023 के परिप्रेक्ष्य में उ0प्र0 राज्य के अन्दर प्रशिक्षण संस्थान संचालित किये जाने की अनुज्ञप्ति प्रदान किये जाने हेतु निम्नलिखित अर्हताओं को पूर्ण करने वाले को ''प्रशिक्षण संस्थान'' की अनुज्ञप्ति प्रदान की जायेगी ।

अवस्थापना सुविधाओं का विवरण निम्नवत			25 प्रशिक्षुओं हेतु		50 प्रशिक्षुओं हेतु		100 प्रशिक्षुओं हेतु	
बाहरी प्रशिक्षण के लिये	पी.टी./परेड ग्राउड बाधा प्रशिक्षण		आवश्यकता एवं नियमानुसार 27x55 मीटर		आवश्यकता एवं नियमानुसार 27x55 मीटर		आवश्यकता एवं नियमानुसार 27x55 मीटर	
आन्तरिक प्रशिक्षण #	क्लास रूम सह कम्प्यूटर लैब		6x9 मीटर (01 कक्ष)		6x9 मीटर (01 कक्ष)		6x9 मीटर (01 कक्ष)	
	स्टोर		6x9 मीटर के (01 कक्ष)		6x9 मीटर के (01 कक्ष)		6x9 मीटर के (01 कक्ष)	
	पुस्तकालय एवं सुरक्षा उपकरण प्रदर्शनी		14x8 मीटर (मानकानुसार न्यूनतम्) (01 कक्ष)		14x8 मीटर (मानकानुसार न्यूनतम्) (01 कक्ष)		14x8 मीटर (मानकानुसार न्यूनतम्) (01 कक्ष)	
	प्रशासनिक खण्ड (एक चैम्बर प्रधान प्रशिक्षण निर्देश स्टाफ, कार्यालय की जगह,गैलरी, शौचालय तथा बाथरूम हेतु)		12 x8 मीटर (01 कक्ष)		12 x8 मीटर (01 कक्ष)		12 x8 मीटर (01 कक्ष)	
बोर्डिग क्षेत्र के लिए आवश्यकता	बैरक		6x12 मीटर (03 व्यक्ति क्षमता)**		6x12 मीटर (05 व्यक्ति क्षमता)**		6x12 मीटर (01 व्यक्ति क्षमता)**	
	शौचालय/ बाथरूम		पु0	म0	पु0	म0	पु0	म0
		शौचालय	3	2	5	4	10	7
		यूरीनल	1	-	2	-	4	-
		बेसिन	3	2	5	4	10	7
		बाथरूम	3	2	5	4	10	7
	भोजन कक्ष		25 वर्ग मी0		50 वर्ग मी0		50 वर्ग मी0*	
	रसोई कक्ष(स्टोर, वाशिंग एरिया इत्यादि सहित)		12.5 वर्ग मी0		25 वर्ग मी0		50 वर्ग मी0	
	मनोरंजन कक्ष		15x8 मीटर		15x8 मीटर		15x8 मीटर	
	प्राथमिक चिकित्सा सुविधायें		4x6 मीटर		4x6 मीटर		4x6 मीटर	

नोटः

* प्रशिक्षुओं की अधिकता होने पर शिफ्ट वाइज प्रयोग हेतु।

** क्षमता अधिक होने पर निर्धारित इकाई के कक्ष गुणांक में प्रयोग में लाये जायें।

आन्तरिक प्रशिक्षण हेतु भवन में नियमानुसार समुचित टॉयलेट, यूरीनल, वाशबेसिन, ड्रिंकिंग वाटर फैसेलिटी, फायर फाईटिंग उपकरण, सोलर रूफटाप पावर प्लांट, रेन वाटर हारवेस्टिंग, फायर कन्ट्रोल रूम सह इलेक्ट्रिकल रूम, स्वागत कक्ष/वेटिंग एरिया इत्यादि भवन निर्माण विकास उपविधि-2025 व नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के प्राविधानानुसार समायोजन नितान्त आवश्यक है।

उपरोक्त अवस्थापना सुविधाओं के लिए शर्तें-

1. निर्माण से पूर्व मानचित्र संबंधित इकाई/संस्था/प्राधिकरण/विकास प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त करनी होगी एवं फायर एन0ओ0सी0 (प्रोवीजनल व फाईनल) प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
2. भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2025 एवं नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के समस्त प्राविधानों (सेट बैक, ग्राउड कवरेज, एफ0ए0आर एवं प्रकाश एवं संवातन, प्लंबिंग गाइड लाइंस,फायर फाईटिंग गाईड लाइंस इत्यादि) का पूर्णतः पालन किया जाना सुनिश्चित करना होगा।
3. समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत समस्त शासनादेशों के अनुसार संरचना का भूकंपरोधी होना, सोलर रूफटॉप पावर प्लांट स्थापित किया जाना एवं रेन वाटर हारवेस्टिंग सिस्टम स्थापित किया जाना सुनिश्चित किया जाना अपरिहार्य है।

<u>**कर्मचारी भर्ती के लिएः**</u>

(1) प्रशिक्षक की योग्यता	**प्रधान प्रशिक्षकः-** राज्य पुलिस बल के उप निरीक्षक पद के समकक्ष(सेवानिवृत्त) एवं सेना/अर्द्धसैनिक बलों के मुख्य आरक्षी पद के समकक्ष(सेवानिवृत्त)
(2) बाहरी प्रशिक्षण	
(एक) पर्यवेक्षी अधिकारी	100 प्रशिक्षुओं पर एक
(दो) प्रशिक्षण स्टाफ	50 प्रशिक्षुओं पर एक
(3) आन्तरिक प्रशिक्षण	
(एक) पर्यवेक्षी अधिकारी	100 प्रशिक्षुओं पर एक
(दो) प्रशिक्षण स्टाफ	100 प्रशिक्षुओं पर एक स्थायी कर्मचारियों के रूप में आवश्यकता के आधार पर प्रशिक्षकों की संख्या निर्भर करेगी। आवश्यकतानुसार विशेष प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये एजेंसियाँ अतिथि व्याख्यान की सेवाओं का उपयोग कर सकती है।

(4) सहायक स्टाफ

(एक) बावर्ची — 25 प्रशिक्षुओं पर एक

(दो) सफाई कर्मी — 25 प्रशिक्षुओं पर एक

(तीन) प्लम्बर / बिजली / मिस्त्री / मोची — 100 प्रशिक्षुओं पर एक

क्लासरूम पाठ्यकम:

- जनता में आचरण एवं वर्दी को सही ढंग से धारण करना
- प्रत्येक गार्ड/सुपरवाइर को नियुक्ति के स्थान से सम्बन्धित पुलिस स्टेशन/सम्बन्धित पुलिस अधिकारी के दूरभाष नम्बर से अवगत कराया जाय, जिससे कि कोई अप्रिय घटना की स्थिति में वह सम्बन्धित पुलिस स्टेशन/पुलिस अधिकारी को तत्काल सूचित कर सके ।
- अभिकरण के गार्ड/सुपरवाइजर को प्राथमिक चिकित्सा की जानकारी होनी चाहिए ।
- शारीरिक सुरक्षा, सम्पत्ति की सुरक्षा, भवन या अपार्टमेन्ट की सुरक्षा, कार्मिक, घरेलू सुरक्षा का ज्ञान।
- पहचान पत्रों, स्मार्ट कार्ड, दस्तावेजों, शस्त्र अनुमति या दस्तावेजों में सामान्यतः प्रयुक्त अंग्रेजी अक्षरों, अरबी अंकों को पढ़ने एवं समझने की योग्यता ।
- संकट से निपटना एवं आपदा प्रबन्धन
- पुलिस एवं सैन्य बलों के रैंक के बैज
- जनता एवं पुलिस द्वारा प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न शस्त्रों की पहचान
- नकद रूपयों एवं अन्य महत्वपूर्ण वस्तुओं को लाने, ले जाने के सुरक्षात्मक उपाय ।
- जन सामान्य व्यक्तियों के अधिकार एवं जिम्मेदारियों से अवगत कराना ।
- औद्योगिक वातावरण को सुरक्षित एवं संरक्षित रखने के उपाय ।
- एटीएम और लॉकर सुरक्षा के उपाय ।
- भीड़, वाहन, महत्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा का कुशल नियंत्रण एवं अभिलेखों की समुचित सुरक्षा ।
- टेलीफोन पर शिष्टाचार पूर्वक वार्ता करने की कुशलता ।
- वाहनों में सामान को चढ़ाते एवं उतारते समय कुशल निगरानी ।
- बी.एन.एस. का प्रारम्भिक ज्ञान । (केवल प्रभावी धारायें)

शारीरिक प्रशिक्षण/उपकरण प्रशिक्षण:

- शारीरिक स्वस्थता प्रशिक्षण
- अग्निशमन एवं भीड़ नियंत्रण
- रस्सा व बीम की सुविधा
- सुरक्षा उपकरणों का उपयोग (सुरक्षा अलार्म, स्क्रीनिंग उपकरण जैसे DFMD, HHMD आदि) नेतृत्व एवं प्रबन्धन (केवल सुपरवाइजरों के लिए)

न्यूनतम मूलभूत उपकरणों की उपलब्धता:

- न्यूनतम मूलभूत उपकरणों के प्रशिक्षण के लिये डीएफएमडी, एचएचएमडी, वायरलेस, टेलीफोन्स, एचएएम सेट्स, एलार्म डिवाइस, शस्त्र, फायर फाइटिंग, कम्प्यूटर का प्रयोग एवं प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में सम्मिलित अन्य सभी उपकरणों के प्रशिक्षण हेतु उपलब्धता ।
- प्रशिक्षण संस्थान में प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराये जाने का प्रशिक्षण एवं उपलब्धता होनी चाहिये ।
- प्रशिक्षण संस्थान में शस्त्रों की उपलब्धता व उनके बारे में जानकारी ।

4/11/25

(अमिताभ यश)
नियंत्रक प्रधिकारी/अपर पुलिस महानिदेशक
कानून एवं व्यवस्था उ0प्र0, लखनऊ ।

CONTROLLING AUTHORITY, PRIVATE SECURITY AGENCY ADDITIONAL DIRECTOR GENERAL OF POLICE, LAW AND ORDER, UTTAR PRADESH, POLICE HEADQUARTERS UTTAR PRADESH, LUCKNOW

DG-15-PSA(Training)2025

Date: November , 2025

Subject: Guidelines for recognition of private security training institutes for training of private security guards and supervisors/(SOP):-

Order

As per Rule 8(1), 8(2) of the Uttar Pradesh Private Security Agency Rules-2023 and the Standard Operating Procedure (SOP) dated 02-05-2023 issued by the Government of India, for granting license to run a training institute within the state of Uttar Pradesh, the license of "Training Institute" will be granted to the person fulfilling the following eligibility criteria.

The details of infrastructure facilities are as follows:			**25 Trainees**		**50 Trainees**		**100 Trainees**	
For Outdoor training	PT/Parade		As per requirement and rules		As per requirement and rules		As per requirement and rules	
	For obstacle training		27x55 meter (01 room)		27x55 meter (01 room)		27x55 meter (01 room)	
Indoor Training #	Class Room cum Computer Lab		6x9 meter (01 room)		6x9 meter (01 room)		6x9 meter (01 room)	
	Store		6x9 meters (01 room)		6x9 meters (01 room)		6x9 meters (01 room)	
	Library and Security Equipment Exhibition		14x8 meter (standard minimum) (01 room)		14x8 meter (standard minimum) (01 room)		14x8 meter (standard minimum) (01 room)	
	Administrative Block (One Chamber For Head Training/ Instruction Staff, Office Space, Gallery, Toilets And Bathrooms)		12x8 meter (01 room)		12x8 meter (01 room)		12x8 meter (01 room)	
Requirement for Boarding Area	Barracks		6x12 meter (03 persons capacity)**		6x12 meter (03 persons capacity)**		6x12 meter (03 persons capacity)**	
	Toilets/Bathrooms		M	F	M	F	M	F
		Toilet	3	2	5	4	10	7
		Urinal	1	-	2	-	4	-
		Wash Basin	3	2	5	4	10	7
		Bathroom	3	2	5	4	10	7
	Dining room		25 sq. m		50 sq. m		50 sq. m*	
	Kitchen Area (Including Store, Washing Area, etc.)		12.5 sq. m		25 sq. m		50 sq. m	
	Recreation room		15x8 meter		15x8 meter		15x8 meter	
	First Aid Facilities		4x6 meter		4x6 meter		4x6 meter	

Note:

***	For shift wise use in case of excess number of trainees.**

****	If the capacity is high, the room coefficient of the prescribed unit should be used.**

**#	For Indoor Training, it is absolutely necessary to have proper Toilets, Urinals, Washbasins, Drinking Water Facilities, Fire fighting equipment, Solar rooftop power plant, Rain water harvesting, Fire control room cum electrical room, Reception room/waiting area etc. in the building as per the rules and as per the provisions of Building Construction Development Bye-laws-2025 and National Building Code-2016.**

Conditions for the above infrastructure facilities-

1. **Before construction, permission must be obtained from the map related unit/institution/authority/development authority and it must be ensured that Fire NOC (Provisional and Final) is obtained.**
2. **It will have to be ensured that all the provisions of Building Construction and Development Bye-laws-2025 and National Building Code-2016 (Set back, Ground coverage, FAR and lighting and ventilation, plumbing guidelines, fire fighting guidelines etc.) are fully followed.**
3. **As per all the government orders issued by the government from time to time, it is essential to ensure that the structure is earthquake resistant, solar rooftop power plant is installed and rain water harvesting system is installed.**

For Staff Recruitment:

(1) Qualification of the trainer	**Head Instructors:-** Equivalent to the post of Sub Inspector in State Police Force(Retired) and Equivalent to the post of Head Constable in Army/Paramilitary Forces(Retired)
(2) Outdoor Training	
(i) Supervisory Officer	One per 100 trainees
(ii) Training Staff	One per 50 trainees
(3) Indoor Training	
(i) Supervisory Officer	One per 100 trainees
(ii) Training Staff	One per 100 trainees As per requirement as permanent staff The number of trainers will depend on the requirement. Agencies may also use the services of guest lecturers to impart specialised training as per the requirement.
(4) Support Staff	
(i) Cook	One per 25 trainees
(ii) Sweeper	One per 25 trainees
(iii) Plumber/Electrician/Mason/Cobbler	One per 100 trainees

Classroom Courses:

1. Proper conduct in public and wearing of uniform
2. Each guard/supervisor should be made aware of the telephone number of the concerned police station/police officer at the place of posting, so that in case of any untoward incident, he can immediately inform the concerned police station/police officer.
3. Guards/supervisors of the agency should be aware of first aid.
4. Knowledge of physical safety, property safety, building or apartment safety, personnel, domestic safety.
5. Ability to read and understand English letters, Arabic numerals commonly used in identity cards, smart cards, documents, arms permits or documents.

6. Crisis response and disaster management
7. Rank badges of police and military forces
8. Identification of various weapons used by the public and police
9. Safety measures for carrying cash and other important items.
10. Making the general public aware of their rights and responsibilities.
11. Measures to keep the industrial environment safe and secure.
12. ATM and locker security measures.
13. Efficient control of crowd, vehicle, security of important institutions and proper security of records.
14. Ability to talk politely on the telephone.
15. Efficient monitoring while loading and unloading goods in vehicles.
16. Basic knowledge of B.N.S. (Only effective sections)

Physical Training/Equipment Training:

1. Physical fitness training
2. Fire fighting and crowd control
3. Rope and beam facilities
4. Use of security equipment (security alarms, screening equipment like DFMD, HHMD etc.)
5. Leadership and Management (for supervisors only)

Availability of minimum basic equipment:

1. Availability of minimum basic equipment for training of DFMD, HHMD, wireless, telephones, HAM sets, alarm devices, weapons, fire fighting, use of computers and all other equipment included in the training syllabus.
2. There should be training and availability of first aid facilities in the training institute.
3. Availability of weapons and information about them in the training institute.

4/1/25

(Amitabh Yash)
Controlling Authority /
Additional Director General of Police
Law and Order Uttar Pradesh, Lucknow.